विशेष वि

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री मन मोहन मीना , आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :- 07/2022

उनवान

शिम्भूदयाल सैनी पुत्र रूडाराम उम्र 45 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी मालिया वाली तन नाथावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

बनाम

1 ईश्वर पुत्र सरदारा
2 तारू पुत्र सरदारा
3 तीजा पत्नी सरदारा
4 बाछू पुत्र सरदारा
5 सूरजमल सैनी पुत्र बल्लू राम सैनी
6 सूरजा पुत्र बल्ला
7 सीताराम पुत्र त्रिलोक
8. बद्री पुत्र भीवाराम
9 कालूराम पुत्र त्रिलोक
10 बाबूलाल पुत्र त्रिलोकाराम
11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

आदेश दिनांक 15/6/2023

प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री रणवीर कपूरिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) के तहत पेश किया गया कि प्रार्थी की भूमि आ0,ख0नं0 760/1 रकबा 0.07, 761/1 रकबा 0.10, 762/1 रकबा 0.1650, 762/3 रकबा 0.005, 766 रकबा 0.08, 767 रकबा 0.05, 768/1 रकबा 0.13, 753/1 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम नाथावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है |हाल आराजी ख.न. 768/2/0.12 है. वाकै ग्राम नाथावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसमें प्रार्थी के निवास हेतु आवास बने हुये है जो प्रार्थी के पिता के नाम हिस्सा 1/5 भाग दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा अप्रार्थीगण ने अपने व अपने परिवारजनो के आवास हेतु पुख्ता मकानात का निर्माण कर रखा है जो कि अलमसूर ढाणी मालियो के नाम से जानी जाती है जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने बुजुर्गो के समय से ही मकानात बनाकर निवास करते हुये चले आ रहे है।

यह कि उक्त वर्णित ढाणी मालियो वाली शाहपुरा से अजीतगढ जाने वाले रोड के उत्तर दिशा की ओर स्थित है जिसमें आवागमन हेतु शाहपुरा अजीतगढ रोड से लगता हुआ उत्तर दक्षिण दिशा की लंबाई में 12 फुट चौडाई में एकमात्र आम रास्ता बना हुआ है जो कि प्रार्थना पत्र के जिमन नं. 1 में वर्णित आराजीयात में बना हुआ है जो आराजी ख0 न0 761/1, 760/1, 767 व 753/1 के पूर्वी सीमा के समान्तर तथा आराजी ख. न. 762/3, 762/1, 766 व 968/1 के पश्चिमी सीमा के समान्तर आराजी खसरा नं0 769 तक बना हुआ है। उक्त वर्णित आम रास्ते से प्रार्थी व अप्रार्थी गण के परिवारजन व उनके मवेशी व ट्रेक्टर ट्रोली इत्यादि साधन आते जाते है और उक्त रास्ता अर्सा करीब जब से ढाणी बसी तभी से बना हुआ है लेकिन उक्त आम रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी में से बना हुआ होने के कारण दिनांक 25.07.2022 को अप्रार्थीगण ने मिलकर उक्त आम रास्ते को जबरन लठ के जोर से बंद कर दिया जिससे प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजनो को आने जाने व प्रार्थी के मवेशियो को पानी व चारे की रास्ता अवरूद्ध होने के कारण काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति से मिलकर उक्त रास्ते को सुचारू करने हेतु व रास्ते में अतिकमण हटाने की सहमति पत्र दिनांक 02.08.2022 को पुलिस थाना शाहपुरा में दिया गया है लेकिन अप्रार्थीगण ने आज तक आम रास्ते का अवरूद्ध कर बंद कर रखा है जिससे प्रार्थी व उसके परिवारजनो को आवागमन में काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है।

अंत में प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल आ0,ख0नं0 760/1 रकबा 0.07, 761/1 रकबा 0.10, 762/1 रकबा 0.165, 762/3 रकबा 0.005, 766 रकबा 0.08, 767 रकबा 0.05, 768/1 रकबा 0.13, 753/1 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम नाथावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में शाहपुरा से अजीतगढ जाने वाले रोड के उत्तर दिशा में स्थित उत्तर दक्षिण दिशा की लम्बाई में 12 फुट चौडाई में बने आम रास्ते की भूमि की डी एल सी दर से राशि अप्रार्थीगण को दिलवायी जाकर उक्त रास्ते का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई तथा तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। अप्रार्थीगण सं0 7 व 10 की ओर से हजारीप्रसाद अधिवक्ता ने

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

वकालतनामा पेश किया । अप्रार्थीगण सं0 8 व 9 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव अधिवक्ता ने यूटी दी। अप्रार्थीगण सं0 1 व 4 स्वयं उपस्थित आये तथा प्रकरण में दौराने सुनवाई अप्रार्थी सं0 1 से 5 की ओर से श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता ने दिनांक 11.11.22 वकालतनाम पेश किया गया अप्रार्थी सं0 7 व 10 ने प्रति जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया प्रार्थी का मकानात ढाणी मालियो वाली के अन्तिम छोर ख. न. 768/2 में स्थित है। प्रार्थी ने केवल अप्रार्थीगणो की भूमि में से ही मांग की है। प्रार्थी की भूमि 768/2 में से रास्ता कायम नही करवाना चाहते है जबकि प्रार्थी के मकानात के सामने कोने पर रास्ता है किन्तु उस रास्ते पर पुक्ता दीवार बनाकर अप्रार्थीगण तारू पुत्र सरदारा के मकानात पर जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है इस कारण प्रार्थी की मंशा साफ नही है। अंत में अप्रार्थी ने निवेदन किया की नाथावाला की ढाणी मालीयो की में अजीतगढ शाहपुरा सडक से उत्तर दिशा में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को शामिल करते हुये उक्त ढाणी मालियो वाली के अन्तिम छोर खातेदारी भूमि ख. न. 768/2 से होकर ख.न. 774 में स्थित मकानात में पहुच के लिये रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थीगण की ओर से प्रति जवाब प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर जाहिर किया कि अप्रार्थीगण के रास्ते का अवरूद्ध नहीं किया गया है बल्कि अप्रार्थीगण ढाणी में आवागमन हेतु अर्सा करीब 150 वर्षो से चालू रास्ते को अतिक्रमण कर उसे अवरूद्ध कर बंद कर देना चाहते है अप्रार्थीगण येनकेन प्रकरण प्रार्थी के आवासीय मकानात व ढाणी में जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध करना चाहते है और उक्त जवाब प्रति प्रार्थना पत्र की आड में प्रार्थी व ढाणी के आम रास्ते का बंद करवाना चाहते है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण प्रति जवाब प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी सं0 7 व 10 की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थीगण के द्वारा केवल हेरान व परेशान करने से प्रार्थना पत्र पेश किया है। मौके पर पगडंडी से लोग अपने खेतो में आते जाते है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तावित रास्ते से कोई रास्ता नहीं है तथा न ही वाहन पशु आदि आते है। साथ ही यही भी जाहिर किया कि प्रकरण का प्राथंमिक स्तर पर निस्तारण हेतु समाज स्तर पर बातचीत हुई थी तब अप्रार्थीगण की रास्ता में दी जाने वाली भूमि में से दो गुना भूमि लेने की मांग रखी तो प्रार्थी ने अस्वीकार कर दी इस प्रकार प्रार्थी फोकट में रास्ता लेना चाहता है जो खारिज योग्य है।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर जाहिर किया कि प्रश्नगत आराजी में से होकर प्रार्थीगण के मकान तक रास्ता जा रहा है जो रिकार्ड में दर्ज नहीं है इस रास्ते के दोनो तरफ पक्के निर्माण, चार दिवारी व मकान बने हुई है जो कही 12 फीट व कही 8 फीट चोडा है। ख. न. 761/1 व 760/1 के खातेदार बद्री पुत्र भीवा ने अपने पुख्ता निर्माण को हटाकर रास्ता चौडा करने हेतु सहमति दी। अन्य खातेदार रास्ता देने हेतु सहमत नही हुये। तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा पक्षकारान में विवाद होने से रास्ते हेतु कोई भूमि प्रस्तावित नही की गई ।

प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.06.2023 नियत होने पर प्रकरण को दिनांक 15.06.2023 को मंहगाई राहत कैम्प में रखा गया। प्रकरण में प्रार्थी स्वयं व उनके अधिवक्ता उपस्थित आये । अप्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नही हुये। प्रकरण में वकील प्रार्थी व उपस्थित आस पास के व्यक्तियो को सुना गया तथा तहसीलदार शाहपुरा को पटवारी व गिरदावर हल्का को पुनः मौके पर भेजकर रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में पटवारी/गिरदावर द्वारा मौके पर चालू रास्ता को प्रस्तावित किया जाकर कुल 410 मीटर 8 फूट चौडाई में रास्ता प्रस्तावित किया है। उक्त रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । प्रार्थी स्वंय मंहगाई राहत शिविर कैम्प नाथावाला में उपस्थित होने पर प्रार्थी को सुना गया तथा शिविर में मजमे आम में उपस्थित मौतबिरान को भी प्रकरण से अवगत कराया जाकर मौके पर चालू रास्ते के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई । प्रकरण में हम राज्य सरकार की 251 ए के तहत रास्ता सम्बन्धी प्रकरणो का शिघ्र निस्तारण करने की मंशा के आधार पर गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 15.6.2023 की रिर्पोट के मुताबिक मौके पर चालू रास्ते के अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति 1955 की धारा – 251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर आ0,ख0नं0 760/1 रकबा 0.07 है0 में से 42 मीटर, 761/1 रकबा 0.10 है0 में से 50 मीटर, 762/1 रकबा 0.1650 है0 में से 50 मीटर, 766 रकबा 0.08 है0 में से 56 मीटर, 767 रकबा 0.05 है0 में से 26 मीटर, 768/1 रकबा 0.13 है0 में से 46 मीटर, 769 रकबा 0.03 है0 में से 41 मीटर, 770 रकबा 0.10 है0 में से 76 मीटर , 771 रकबा 0.40 है0 में से 20 मीटर व 753/1 रकबा 0.32 है0 में से 3 मीटर कुल 410 वर्गमीटर (8फीट चौडाई में) गिरदावर,हल्का शाहपुरा द्वारा दिनांक 15.06.2023 को मौके पर चालू रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान में प्रचलित डीएलसी दर से 2 गुना भूमि की कीमत का आंकलन कर राशि प्रार्थी से वसूल कर नियमानुसार खातेदारान/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में सिवायचक गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रेषित भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 15.6.2023 व नक्शा निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 15.6.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प नाथावाला मे सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर